रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 1997/वैशाख 18, 1919
No. 291] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 1997/VAISAKHA 18, 1919

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1997

का.आ. 372(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॅयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 और नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा, सांसद, लोक सभा और श्री पी. तीर्थरामन, सांसद, लोक सभा को जिन्हें लोक सभा द्वारा कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु सम्यकत: निर्वाचित किया गया है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सदस्यों, अर्थात् श्रीमती सुशीला गोपालन और श्री मुलापल्ली रामचंद्रन की पदावधि की समाप्ति तक, जिनके स्थान पर उन्हें क्रमश: नियुक्त किया गया है, कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन हेतु भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 582 (अ), तारीख 27 जून 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, संसद सदस्यों से संबंधित प्रवर्ग (ङ) के अधीन क्रम सं. 13 और 14 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"13. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा,
संसद् सदस्य (लोक सभा)

14. श्री पी. तीर्थरामन,
संसद् सदस्य (लोक सभा)"।

[फ. सं. 6 (5)/94-कॅयर]
ब्रह्म दत्त, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. 2226 तारीख 6-7-54 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

का. नि. आ. 973	तारीख 29-4-1955
का. नि. आ. 3669	तारीख 17-12-1955
आ ...	तारीख 12-12-1955

का. नि. सा.1088	तारीख 18-6-1963
का. आ. 1744	तारीख 6-5-1967
का. आ. 1983	तारीख 21-7-1969
का. नि. सा. 1122	तारीख 9-7-1976
का. नि. सा. 1588	तारीख 28-9-1976
का. नि. सा. 2498	तारीख 30-5-1983
का. नि. सा. 390 (अ)	तारीख 22-3-1990
का. नि. सा. 694 (अ)	तारीख 30-7-1992
का. नि. सा. 832 (अ)	तारीख 29-10-1992
का. आ. 784 (अ)	तारीख 14-9-1995
का. आ. 44 (अ)	तारीख 15-1-1996
का. आ. 45 (अ)	तारीख 15-1-1996

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro. and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 1997

S.O. 372(E):—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rule 4 and sub-rule (1) of rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Shri G. Mallikarjunappa, Member of Parliament, Lok Sabha and Shri P. Theertharaman, Member of Parliament, Lok Sabha who have been duly elected by the House of the People to serve as members of the Coir Board to be members of the Coir Board with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the expiry of the term of Office of the members, namely, Shrimati Susheela Gopalan and Shri Mullappally Ramachandran in whose place they have been respectively appointed and for the said purpose makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries) number S.O. 582 (E) dated the 27th June, 1995 namely :—

In the said notification, under category (e) relating to Members of Parliament, for serial numbers 13 and 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

" 13. Shri G. Mallikarjunappa,
Member of Parliament (Lok Sabha)

14. Shri P. Theertharaman,
Member of Parliament (Lok Sabha)"

[No. 6(5)/94-Coir]

BRAHM DUTT, Jt. Secy.

Footnote:—The principal notification was published in the Gazette of India vide Notification No. 2226 dated 6-7-54 and subsequently amended vide

S.R.O. 973	dt. 29-4-1955
S.R.O. 3669	dt. 17-12-1955
S.R.O. 3983	dt. 12-12-1955
S.R.O. 877	dt. 9-4-1960
G.S.R. 1088	dt. 18-6-1963
S.O. 1744	dt. 6-5-1967
S.O. 2983	dt. 21-7-1969
G.S.R. 1122	dt. 9-7-1976
G.S.R. 1588	dt. 28-9-1976
G.S.R. 2498	dt. 30-5-1983
G.S.R. 390 (E)	dt. 22-3-1990
G.S.R. 694 (E)	dt. 30-7-1992
G.S.R. 832 (E)	dt. 29-10-1992
S.O. 784 (E)	dt. 14-9-1995
S.O. 44 (E)	dt. 15-1-1996
S.O. 45 (E)	dt. 15-1-1996

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064